<u>न्यायालयः</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला</u>—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर आरसीटी 277/17</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—278/17</u> संस्थापित दिनांक—22.08.17

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।
अभियोजन
विरुद्ध
01—गजराम पुत्र हरिनारायण वंशकार आयु 19 वर्ष निवासी
ग्राम नयाखेडा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (म०प्र०)
आरोपी
राज्य द्वारा :– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा :— श्री मुदगल अधिवक्ता।

—ः <u>निर्णय</u>ः— <u>(आज दिनांक 14.02.2018 को घोषित)</u>

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 341, 294, 354, 323, 506 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में कोई उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादिव की धारा 294, 323/34, 341/34, एवं 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादिव की धारा 354 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी अरविंद वंशकार ने दिनांक 09.08.17 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 09.08.17 समय 20:00 बजे फरियादी के घर के दरवाजे नयाखेडा पर आरोपी ने फरियादी का हाथ बुरी नियत से पकड लिया तथा गालियां दी और लाठी से मारकर चोट पहुचाई। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 375/17 के अंतर्गत भादिव की धारा 341, 294, 354, 323, 506 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 341/34, 294, 354, 323/34, 506 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपी ने दिनांक 09.08.17 को समय 20:00 बजे फरियादी के ह ार के दरवाजे ग्राम नयाखेडा पर रचना जो कि एक स्त्री है, उसकी लज्जा भंग करने के आशय से पीछे से पकडकर बुरी नियत से उसकी छाती दबाकर आपराधिक वल का प्रयोग किया ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 अरविंद, अ.सा.2 रचना, अ.सा.3 शिशुपाल, अ.सा.4 देशराज की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 अरविंद ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनाक को आरोपी ने उसकी भावी के साथ गाली गलोच कर दी थी तथा धक्का मुक्की कर दी थी। उक्त साक्षी के अनुसार पुलिस ने अस्पताल में पूछताछ की थी जिसकी रिपोर्ट प्र0पी01 उसने लेखवद्ध कराई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उसकी भाभी का बुरी नियत से हाथ पकड लिया था। उक्त साक्षी ने इस सबंध में पुलिस कथन प्र0पी03 देने से इंकार किया है। अ.सा.2 रचना जिसके साथ अभियोजन के अनुसार आरोपी ने उक्त घटना कारित की थी ने अपने कथन में बताया है कि आरोपी ने उसके साथ गाली गलोच की थी तथा धक्का मुक्की की थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड लिया था। उक्त साक्षी ने भी पुलिस कथन प्र0पी04 देने से इंकार किया है। अ.सा.3 शिशुपाल तथा अ.सा.4 देशराज ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनाक को आरोपी के साथ वाद विवाद हो गया था तथा धक्का मुक्की हो गई थी। दोनो साक्षीगण ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनाक को आरोपी ने बुरी नियत से रचना का हाथ पकडा था। दोनो साक्षीगण ने पुलिस कथन देने से इंकार किया है।

09— अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मामले की फरियादी तथा अन्य सभी साक्षीगण पक्षद्रोही हो गये है। उक्त सभी साक्षीगण ने अपने कथन में इस बात से इंकार किया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी ने रचना का हाथ बुरी नियत से पकड़ा था। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा रचना जो कि स्त्री है का बुरी नियत से हाथ पकड़ कर उस पर आपराधिक वल का प्रयोग किया

गया।

- 10— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 354 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 11— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 12- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।
- 13— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)